



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102025-266729
CG-DL-E-07102025-266729

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49]
No. 49]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 7, 2025/आश्विन 15, 1947
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 7, 2025/ASVINA 15, 1947

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2025

आ.अ. 49(अ).—यतः, भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं. 464/केटी-एलए/2023 दिनांक 13 अप्रैल, 2023 के अनुसरण में 193-श्रवणबेलगोला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए कर्नाटक विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2023 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, कर्नाटक के 193-श्रवणबेलगोला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2023 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 13 मई, 2023 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 12 जून, 2023 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कर्नाटक से उनके दिनांक 13.03.2024 के पत्र सं. DPAR/15/Chuvebha(Addl CEO-1)2023 के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, हसन की रिपोर्ट दिनांक 07.03.2024 के अनुसार, श्री शिवकुमार, जो कर्नाटक के 193-

श्रवणबेलगोला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2023 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हसन की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री शिवकुमार को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/केटी-एलए/15 / 2023/ सीईएमएस-II, दिनांक 05 नवंबर 2024 को जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त उक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री शिवकुमार को लेखा दाखिल न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, हसन जिला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हसन जिला ने अपनी रिपोर्ट सं .ELN(1) 86/2024-25; दिनांक 04.12.2024 में सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस श्री शिवकुमार को दिनांक 09.11.2024 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हसन ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट सं .ELN(1) 86/2024-25; दिनांक 13.05.2025 जो कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कर्नाटक के पत्र सं .DPAR/15/Chuvebha(Addl.CEO-1) 2023 दिनांक 16.05.2025 एवं द्वारा प्राप्त हुई है, उसमें सूचित किया है कि श्री शिवकुमार ने निर्वाचन व्यय के लेखे का कोई विवरण या अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत, श्री शिवकुमार ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री शिवकुमार अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि कर्नाटक के 193-श्रवणबेलगोला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 20 23 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री शिवकुमार, निवासी -दुद्दागानी जनता हाउस, श्रीनिवासपुरा पोस्ट, कसाब हुबली, चेन्नरायपटना तालुक, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76-केटी/एलए/15/2023/सीईएमएस-II]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 19th August, 2025

O.N. 49(E).—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Karnataka, 2023 for **193-Shravanabelagola** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/KT-LA/2023, dated 13th April, 2023; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be a true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **193-Shravanabelagola** Assembly Constituency of Karnataka, 2023 was declared by the Returning Officer on 13th May, 2023 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 12th June, 2023; and

WHEREAS, as per the report dated 07.03.2024 of **District Election Officer, Hassan** under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 received through the CEO, Karnataka vide his letter no. DPAR/15/Chuvebha(Addl CEO-1)2023; dated 13.03.2024 stating that **Sh. Shivakumara**, a contesting candidate from **193-Shravanabelagola** Assembly Constituency in General Election to Legislative Assembly of Karnataka, 2023 has failed to lodge the account of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on basis of the said report of the District Election Officer, **Hassan** a 'Show-Cause Notice' No. 76/KT-LA/15/2023/CEMS-II, dated 05th November, 2024 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Shivakumara**, for not lodging of the account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said 'Show Cause Notice' and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Shivakumara** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge the account of his election expenses with the District Election Officer, **Hassan** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the **District Election Officer, Hassan** in his report no. ELN(1) 86/2024-25; dated 04.12.2024 has reported that the said 'Show Cause Notice' was served to **Sh. Shivakumara** on **09.11.2024**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Hassan** in his Supplementary Report no. ELN(1) 86/2024-25; dated 13.05.2025 on account of the candidate received through CEO, Karnataka letter No. DPAR/15/Chuvebha(Addl.CEO-1) 2023; 16.05.2025 has reported that **Sh. Shivakumara** has not submitted any representation or statement of account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Shivakumara** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) *has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

WHEREAS, on basis of the facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Shivakumara** has failed to lodge the account of his election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Shivakumara**, resident of **Duddaganni Janatha House, Srinivasapura Post, Kasaba Hobli, Channarayapatna Taluk** and a contesting candidate from **193-Shravanabelagola** Assembly Constituency of General election to Legislative assembly of Karnataka, 2023, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/KT-LA/15/2023/CEMS-II]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secretary

आदेश

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2025

आ.अ. 50(अ).—यतः, भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं. 464/केटी-एलए/2023 दिनांक 13 अप्रैल, 2023 के अनुसरण में 193-श्रवणबेलगोला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए कर्नाटक विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2023 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, कर्नाटक के 193-श्रवणबेलगोला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2023 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 13 मई, 2023 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 12 जून, 2023 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम 1 (के अंतर्गत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कर्नाटक से उनके दिनांक 13.03.2024 के पत्र सं. DPAR/15/Chuvebha(Addl CEO-1)2023 के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, हसन की रिपोर्ट दिनांक 07.03.2024 के अनुसार, श्री नटराज पूमादिहल्ली, जो कर्नाटक के 193-श्रवणबेलगोला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2023 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हसन की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम 5 (के अंतर्गत श्री नटराज पूमादिहल्ली को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/केटी-एलए/15 / 2023/ सीईएमएस-II, दिनांक को 05 नवंबर 2024 को जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त उक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री नटराज पूमादिहल्ली को लेखा दाखिल न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, हसन जिला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हसन जिला ने अपनी रिपोर्ट सं. ELN(1) 86/2024-25; दिनांक 04.12.2024 में सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस को अभ्यर्थी की पत्नी को दिनांक 30.11.2024 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हसन ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट सं. ELN(1) 86/2024-25; दिनांक 13.05.2025 जो कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कर्नाटक के पत्र सं. DPAR/15/Chuvebha(Addl.CEO-1) 2023 दिनांक 16.05.2025 द्वारा प्राप्त हुई है, उसमें सूचित किया है कि श्री नटराज पूमादिहल्ली ने निर्वाचन व्यय के लेखे का कोई विवरण या अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत, श्री नटराज पूमादिहल्ली ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।";

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री नटराज पूमादिहल्ली अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि कर्नाटक के 193-श्रवणबेलगोला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 20 23 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री नटराज पूमादिहल्ली, निवासी -पूमदीहल्ली गांव, जट्टानहल्ली नंगे पोस्ट, श्रवणबेलगोला होबली, चन्नरायपटना तालुक, हसन जिला, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा.सं. 76-केटी/एलए/15/2023/सीईएमएस-II]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 19 th August, 2025

O.N. 50(E).—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Karnataka, 2023 for **193-Shravanabelagola** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/KT-LA/2023, dated 13th April, 2023; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be a true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **193-Shravanabelagola** Assembly Constituency of Karnataka, 2023 was declared by the Returning Officer on 13th May, 2023 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 12th June, 2023; and

WHEREAS, as per the report dated 07.03.2024 of **District Election Officer, Hassan** under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 received through the CEO, Karnataka vide his letter no. DPAR/15/Chuvebha(Addl CEO-1)2023; dated 13.03.2024 stating that **Sh. Nataraj Poomadihalli**, a contesting candidate from **193-Shravanabelagola** Assembly Constituency in General Election to Legislative Assembly of Karnataka, 2023 has failed to lodge the account of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on basis of the said report of the District Election Officer, **Hassan** a 'Show-Cause Notice' No. 76/KT-LA/15/2023/CEMS-II, dated 05th November, 2024 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Nataraj Poomadihalli**, for not lodging of the account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said 'Show Cause Notice' and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Nataraj Poomadihalli** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge the account of his election expenses with the District Election Officer, **Hassan**, District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Hassan** in his report no. ELN(1) 86/2024-25; dated 04.12.2024 has reported that the said 'Show Cause Notice' was served to the wife of candidate on **30.11.2024**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Hassan** in his Supplementary Report no. ELN(1) 86/2024-25; dated 13.05.2025 on account of the candidate received through CEO, Karnataka letter No. DPAR/15/Chuvebha(Addl.CEO-1) 2023; dated 16.05.2025 has reported that **Sh. Nataraj Poomadihalli** has not submitted any representation or statement of account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Nataraj Poomadihalli** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) *has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on basis of the facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Nataraj Poomadihalli** has failed to lodge the account of his election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Nataraj Poomadihalli**, resident of **Poomadihalli Village, Juttanahalli Bare Post, Shravanabelagora Hobli, Channarayapatna Taluk, Hassan District** and a contesting candidate from **193-Shravanabelagola** Assembly Constituency of General election to Legislative assembly of Karnataka, 2023, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/KT-LA/15/2023/CEMS-II]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2025

आ.अ. 51(अ).—यतः, भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं .464/केटी-एलए/2023 दिनांक 13 अप्रैल , 2023 के अनुसरण में **196 -हसन** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए कर्नाटक विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2023 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, कर्नाटक के **196 -हसन** विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन ,2023 का परिणाम ,रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 13 मई, 2023 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 12 जून, 2023 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कर्नाटक से उनके दिनांक 26.06.2023 के पत्र सं .DPAR 15 CHUEBHA (Addl CEO-1)2023 के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, हसन की रिपोर्ट दिनांक 12.06.2023 के अनुसार ,**श्री स्वरूपा बी.एम** ,जो कर्नाटक के **196 -हसन**

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2023 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हसन की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री स्वरूपा बी.एम को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/केटी-एलए/ 15/ 2023/ सीईएमएस-II, दिनांक 05 नवंबर 2024 को जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त उक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री स्वरूपा बी.एम को लेखा दाखिल न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, हसन जिला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हसन जिला ने अपनी रिपोर्ट सं .ELN(1) 86/2024-25; दिनांक 04.12.2024 में सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस श्री स्वरूपा बी.एम को दिनांक 03.12.2024 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हसन ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट सं .ELN(1) 86/2024-25; दिनांक 13.05.2025 जो कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कर्नाटक के पत्र सं .DPAR/15/Chuvebha(Addl.CEO-1) 2023 दिनांक 16.05.2025 द्वारा प्राप्त हुई है, उसमें सूचित किया है कि श्री स्वरूपा बी.एम ने निर्वाचन व्यय के लेखे का कोई विवरण या अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत, श्री स्वरूपा बी.एम ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री स्वरूपा बी.एम. अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि कर्नाटक के 196- हसन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2023 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री स्वरूपा बी.एम., निवासी- बिलेकल्लू, ज्योति नगर पोस्ट, कसावा होबली, चिक्कमगलुरु तालुक और जिला, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76-केटी/एलए/15/2023/सीईएमएस-II]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 19th August, 2025

O.N. 51(E).—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Karnataka, 2023 for **196-Hassan** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/KT-LA/2023, dated 13th April, 2023; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be a true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **196-Hassan** Assembly Constituency of Karnataka, 2023 was declared by the Returning Officer on 13th May, 2023 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 12th June, 2023; and

WHEREAS, as per the report dated 12.06.2023 of **District Election Officer, Hassan** under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 received through the CEO, Karnataka vide his letter no. DPAR 15 CHUEVBHA (Addl CEO-1)2023; dated 26.06.2023 stating that **Sh. Swaroopa B.M.**, a contesting candidate from **196-Hassan** Assembly Constituency in General Election to Legislative Assembly of Karnataka, 2023 has failed to lodge the account of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on basis of the said report of the District Election Officer, **Hassan** a ‘Show-Cause Notice’ No. 76/KT-LA/15/2023/CEMS-II, dated 05th November, 2024 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Swaroopa B.M.**, for not lodging of the account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said ‘Show Cause Notice’ and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Swaroopa B.M** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge the account of his election expenses with the District Election Officer, **Hassan** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the **District Election Officer, Hassan** in his report no. ELN(1) 86/2024-25; dated 04.12.2024 has reported that the said ‘Show Cause Notice’ was served to **Sh. Swaroopa B.M** on **03.12.2024**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Hassan** in his Supplementary Report no. ELN(1) 86/2024-25; dated 13.05.2025 on account of the candidate received through CEO, Karnataka letter No. DPAR/15/Chuvebha(Addl.CEO-1) 2023; dated 16.05.2025 has reported that **Sh. Swaroopa B.M** has not submitted any representation or statement of account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Swaroopa B.M** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on basis of the facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Swaroopa B.M** has failed to lodge the account of his election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Swaroopa B.M**, resident of **Bilekallu, Jyothi Nagara Post, Kasaba Hobli, Chikkamagaluru Taluk & District** and a contesting candidate from **196-Hassan** Assembly Constituency of General election to Legislative assembly of Karnataka, 2023, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/KT-LA/15/2023/CEMS-II]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2025

आ.अ. 52(अ).—यतः, भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं .464/केटी-एलए/2023 दिनांक 13 अप्रैल, 2023 के अनुसरण में **198- अरकलगुड** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए कर्नाटक विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2023 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, कर्नाटक के **-198 अरकलगुड** विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2023 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 13 मई, 2023 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 12 जून, 2023 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम 1 (के अंतर्गत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कर्नाटक से उनके दिनांक 13.03.2024 के पत्र सं .DPAR/15/Chuvebha(Addl CEO-1)2023 के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, हसन की रिपोर्ट दिनांक 07.03.2024 के अनुसार, श्री पुट्टराज, जो कर्नाटक के **-198 अरकलगुड** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2023 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हसन की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम 5 (के अंतर्गत श्री पुट्टराज को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/केटी-एलए/15 / 2023/ सीईएमएस-II, दिनांक 05 नवंबर 2024 को जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त उक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री पुट्टराज को लेखा दाखिल न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, हसन जिला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हसन जिला ने अपनी रिपोर्ट सं .ELN(1) 86/2024-25; दिनांक 04.12.2024 में सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस श्री पुट्टराज को दिनांक 04.12.2024 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हसन ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट सं .ELN(1) 86/2024-25; दिनांक 13.05. 2025 जो कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कर्नाटक के पत्र सं .DPAR/15/Chuvebha(Addl.CEO-1) 2023 दिनांक 16.05. 2025 द्वारा प्राप्त हुई है, उसमें सूचित किया है कि श्री पुट्टराज ने निर्वाचन व्यय के लेखे का कोई विवरण या अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत, श्री पुट्टराज ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री पुट्टराज अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि कर्नाटक के 198 - अरकलगुड विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2023 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री पुट्टराज, निवासी - कनागालु गांव, हरनहल्ली होबली, पिरियापटना तालुक, मैसूर जिला, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76-केटी/एलए/15/2023/सीईएमएस-II]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 19th August, 2025

O.N. 52(E).—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Karnataka, 2023 for **198-Arakalgud** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/KT-LA/2023, dated 13th April, 2023; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be a true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **198-Arakalgud** Assembly Constituency of Karnataka, 2023 was declared by the Returning Officer on 13th May, 2023 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 12th June, 2023; and

WHEREAS, as per the report dated 07.03.2024 of **District Election Officer, Hassan** under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 received through the CEO, Karnataka vide his letter no. DPAR/15/Chuvebha(Addl CEO-1)2023; dated 13.03.2024 stating that **Sh. Puttaraja**, a contesting candidate from **198-Arakalgud** Assembly Constituency in General Election to Legislative Assembly of Karnataka, 2023 has failed to lodge the account of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on basis of the said report of the District Election Officer, **Hassan** a ‘Show-Cause Notice’ No. 76/KT-LA/15/2023/CEMS-II, dated 05th November, 2024 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Puttaraja**, for not lodging of the account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said 'Show Cause Notice' and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Puttaraja** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge the account of his election expenses with the District Election Officer, **Hassan** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the **District Election Officer, Hassan** in his report no. ELN(1) 86/2024-25; dated 04.12.2024 has reported that the said 'Show Cause Notice' was served to **Sh. Puttaraja** on **04.12.2024**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Hassan** in his Supplementary Report no. ELN(1) 86/2024-25; dated 13.05.2025 on account of the candidate received through CEO, Karnataka letter No. DPAR/15/Chuwebha(Addl.CEO-1) 2023; dated 16.05.2025 has reported that **Sh. Puttaraja** has not submitted any representation or statement of account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Puttaraja** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) *has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act, and*

(b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

WHEREAS, on basis of the facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Puttaraja** has failed to lodge the account of his election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Puttaraja**, resident of **Kanagalu Village, Haranahalli Hobli, Piriyaapatna Taluk, Mysore District** and a contesting candidate from **198-Arakalgud** Assembly Constituency of G.E. to LA of Karnataka, 2023, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/KT-LA/15/2023/CEMS-II]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2025

आ.अ. 53(अ).—यतः, भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं. 464/केटी-एलए/2023 दिनांक 13 अप्रैल, 2023 के अनुसरण में 198- अरकलगुड विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए कर्नाटक विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2023 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, कर्नाटक के -198 अरकलगुड विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2023 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 13 मई, 2023 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 12 जून, 2023 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कर्नाटक से उनके दिनांक 13.03.2024 के पत्र सं. DPAR/15/Chuwebha(Addl CEO-1)2023 के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, हसन की रिपोर्ट दिनांक 07.03.2024 के अनुसार, विजया भारती, जो कर्नाटक के 198- अरकलगुड

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2023 से निर्वाचन लड़ने वाली अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रही हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हसन की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत विजया भारती को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/केटी-एलए/ 15/ 2023/ सीईएमएस-II, दिनांक 05 नवंबर 2024 को जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त उक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, विजया भारती को लेखा दाखिल न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, हसन जिला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हसन जिला ने अपनी रिपोर्ट सं. ELN(1) 86/2024-25; दिनांक 04.12.2024 में सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस विजया भारती को दिनांक 12.11.2024 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हसन ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट सं. ELN(1) 86/2024-25; दिनांक 13.05.2025 जो कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कर्नाटक के पत्र सं. DPAR/15/Chuvebha(Addl.CEO-1) 2023 दिनांक 16.05.2025 द्वारा प्राप्त हुई है, उसमें सूचित किया है कि विजया भारती ने निर्वाचन व्यय के लेखे का कोई विवरण या अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत, विजया भारती ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:- “यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि विजया भारती अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रही हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि कर्नाटक के 198- अरकलगुड विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2023 में निर्वाचन लड़ने वाली अभ्यर्थी, विजया भारती, निवासी- गंगनलु गांव, हेब्बाले पोस्ट, कसाबा होबली, अरकलगुड तालुक, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगी।

[फा. सं. 76-केटी/एलए/15/2023/सीईएमएस-II]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 19th August, 2025

O.N. 53(E).—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Karnataka, 2023 for **198-Arakalgud** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/KT-LA/2023, dated 13th April, 2023; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be a true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **198-Arakalgud** Assembly Constituency of Karnataka, 2023 was declared by the Returning Officer on 13th May, 2023 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 12th June, 2023; and

WHEREAS, as per the report dated 07.03.2024 of **District Election Officer, Hassan** under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 received through the CEO, Karnataka vide his letter no. DPAR/15/Chuvebha(Addl CEO-1)2023; dated 13.03.2024 stating that **Ms. Vijaya Bharathi**, a contesting candidate from **198-Arakalgud** Assembly Constituency in General Election to Legislative Assembly of Karnataka, 2023 has failed to lodge the account of her election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on basis of the said report of the District Election Officer, **Hassan** a 'Show-Cause Notice' No. 76/KT-LA/15/2023/CEMS-II, dated 05th November, 2024 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Ms. Vijaya Bharathi**, for not lodging of the account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said 'Show Cause Notice' and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Ms. Vijaya Bharathi** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge the account of her election expenses with the District Election Officer, **Hassan** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the **District Election Officer, Hassan** in his report no. ELN(1) 86/2024-25; dated 04.12.2024 has reported that the said 'Show Cause Notice' was served to **Ms. Vijaya Bharathi** on **12.11.2024**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Hassan** in his Supplementary Report no. ELN(1) 86/2024-25; dated 13.05.2025 on account of the candidate received through CEO, Karnataka letter No. DPAR/15/Chuvebha(Addl.CEO-1) 2023; dated 16.05.2025 has reported that **Ms. Vijaya Bharathi** has not submitted any representation or statement of account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Ms. Vijaya Bharathi** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India for failure to lodge the account of her election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

WHEREAS, on basis of the facts and available records, the Commission is satisfied that **Ms. Vijaya Bharathi** has failed to lodge the account of her election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Ms. Vijaya Bharathi**, resident of **Ganganalu Village, Hebbale Post, Kasaba Hobli, Arakalgud Taluk** and a contesting candidate from **198-Arakalgud** Assembly Constituency of General

election to Legislative assembly of Karnataka, 2023, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/KT-LA/15/2023/CEMS-II]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.